न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 420/2016
पंजीयन दिनांक 27.10.2016

(1). परथु पिता जयराम जाति जाट निवासी हिन्गोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0) मृतक के बजाय-

1/1. भैरूलाल पिता परथु जाति जाट निवासी हिन्गोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

1/2. सीता पिता परथु पत्नि मीठु जाति जाट निवासी हिन्गोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

1/3. कमला पिता परथु पत्नि मदनलाल जाति जाट निवासी हिन्गोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

1/4. प्रेम पिता परथु पत्नि औंकारलाल जाति जाट निवासी हिन्गोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

1/5. चन्दा पिता परथु पत्नी भैरूलाल जाति जाट निवासी हिन्गोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

1/6. सोहन बेवा परथु जाति जाट निवासी हिन्गोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). भैरूलाल पिता प्यारचंन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी हिन्गोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(2). मिठुलाल पिता प्यारचंन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी हिन्गोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0) मृतक के बजाय-

2/1. बाबुलाल पिता मिठुलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिन्गोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

2/2. शारदा पिता मिठुलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिन्गोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

2/3. मन्जु पिता मिठुलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिन्गोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

2/4. नोजी बेवा मिठुलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिन्गोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(3). गांगीबाई पिता प्यारचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी हिन्गोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(4). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन
प्रकरण संख्या 126/2008 निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.06.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1).कुष्ण गोपाल झंवर-अधिवक्ता अपीलांटगण
(2).सुरेशचन्द्र शर्मा-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3).पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4
(4). रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/4 व 3- अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 06.07.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के अन्तर्गत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि मौजा हिंगोरिया तहसील कपासन की हाल आराजी संख्या 592 रकबा .70 हैक्टेयर स्थित है जो कि साबिक रेकॉर्ड की आराजी संख्या 639 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा से सैटलमेन्ट से कायम हुई है । उक्त साबिक आराजी जो कि अपीलांटगण संख्या 1/1 से 1/6 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 परथु के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी, उक्त साबिक आराजी संख्या 639 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा में से 3 बीघा आराजी रेस्पोडेन्टगण वादीगण संख्या 1, 2 व 3 के पिता प्यारचन्द ने अपीलांटगण संख्या 1/1 से 1/6 के पिता प्रतिवादी परथु से दिनांक 05.06.1978 को पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है जिसका नवीन नाप .65 हैक्टेयर होकर हाल आराजी संख्या 592 रकबा .70 हैक्टेयर में शुमार है। विक्रय पत्र के अनुसार उक्त वर्णित क्रयशुदा आराजीयात को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट वादीगण संख्या 1, 2 व 3 के पिता क्रेता प्यारचन्द फोत हो गया जिससे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात अपीलांटगण संख्या 1/1 से 1/6 के पिता प्रतिवादी विक्रेता परथु के नाम आज तक दर्ज रेकॉर्ड चली आ रही है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 क्रेता प्यारचन्द के वारिस होकर उक्त क्रयशुदा कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहै है । अन्त में रेस्पोडेन्टगण वादीगण को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात खसरा संख्या 592 रकबा .70 हैक्टेयर में से .65 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया एवं अपीलांटगण संख्या 1/1 से 1/6 के

पिता प्रतिवादी उक्त कयशुदा आराजीयात को दीगर को रहन, बह, मुन्तकिल नहीं करे ओर न ही अपीलांट्गण वादीगण को उक्त कयशुदा आराजीयात से बेदखल करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से अपीलांट्गण संख्या 1/1 से 1/6 के पिता प्रतिवादी को पाबंद किये जाने की प्रार्थना की ।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2016 को रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाकर मौजा हिंगोनिया तहसील कपासन की हाल आराजी संख्या 592 रकबा .70 हैक्टेयर में से रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण को .65 हैक्टेयर रकबे की आराजी का खातेदार काश्तकार मौके कब्जे अनुसार घोषित किये जाने का निर्णय पारित किया जाकर, तदनुसार डिक्री जारी की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील में हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाति है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्गण ने अपील में यह तथ्य अंकित किये कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्गण संख्या 1/1 से 1/6 के पिता प्रतिवादी को बिना सुने एकतरफा निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत था व वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई मौके लेने के बावजूद गवाह पेश नहीं हुए फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण बिना साक्ष्यों के निर्णित किया जाना विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी तथ्य अंकित किये कि प्रकरण में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गई थी जिससे तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित

राजबन्द अपील प्राधिकारी

नहीं किया गया जो कि न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्गण ने अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में वादपत्र 30 साल बाद प्रस्तुत हुआ है जो कि म्याद बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रकरण में दिनांक 06.11.2008 को तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई ,परन्तु वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण ने पत्रावली में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। इस प्रकार प्रकरण साक्ष्य वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण हेतु नियत होने के बावजूद दिनांक 30.06.2016 को अपीलांट्गण संख्या 1/1 से 1/6 के पिता प्रतिवादी को बिना सूचना दिये पत्रावली लोक अदालत में पेश की जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण संख्या 1,2 व 3 के पिता प्यारचन्द ने अपीलांट्गण संख्या 1/1 से1/6 के पिता प्रतिवादी खातेदार परथू से उसके खातेदारी की मौजा हिंगोरिया तहसील कपासन की हाल आराजी संख्या 592 रकबा .70 हैक्टेयर जो कि सैटलमेन्ट से पूर्व आराजी संख्या 639 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा से कायम होकर परथु के नाम वर्तमान में खातेदारी में दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त साबिक आराजी में से 3 बीघा आराजी रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण संख्या 1,2 व 3 के पिता प्यारचन्द ने दिनांक 05.06.1978 को पंजीकृत विकय पत्र से कय कर कब्जा प्राप्त किया है। तथा उक्त कयशुदा आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त कयशुदा व कब्जेशुदा विवादित कृषि आराजीयात के संबंध में प्रस्तुत घोषणा का वादपत्र रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करवाया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण के पक्ष में निर्णित किया गया है जिसमे किसी प्रकार का फेरबदल किया जाना न्यायोचित नहीं है। पंजीकृत विकय पत्र को स्वयं विक्रेता द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने का स्पष्टीकरण अपीलांट प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर सारहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2016 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

अतिरिक्त अपील प्राधिकारी

मैंने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने मौजा हिन्गोरिया तहसील कपासन की आराजी संख्या 592 रकबा 0.70 हैक्टेयर में से 0.65 हैक्टेयर भूमि की घोषणात्मक डिक्री, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र में अपीलांट प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दावा जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई तत्पश्चात पत्रावली साक्ष्य वादी नियत की गई । उक्त पत्रावली दिनांक 08.02.2016 तक वास्ते साक्ष्य वादी नियत रही। उक्त पत्रावली में साक्ष्य वादी न तो बन्द की गई ओर न ही प्रतिवादी अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया व उक्त पत्रावली जो दिनांक 16.08.2016 की तारीख पेशी में नियत थी जो तारीख पेशी से पूर्व पक्षकारान को सूचित किये बिना ही लोक अदालत में नियत कर गुणावगुण पर निर्णय पारित कर रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री बिना किसी लिखित राजीनामे के पारित हुई है । अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी ने दौराने बहस आर0एल0डब्ल्यु0 2008 पार्ट-2 पेज 975 के न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन कराया जिसमे लोक अदालत बिना राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने मे सक्षम नहीं है फिर भी साक्ष्य वादी में विचाराधीन वादपत्र में अपीलांट प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर लोक अदालत के तहत गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित व संहवनीय नहीं होने से अपीलांट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन प्रकरण सख्या 126/2008 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.06.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पत्रावली में कायम की गई तनकियात के अनुसार आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए तनकीवार अजसरे, नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान दिनांक 16.08.2022 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)